—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, —— प्रार्थीगण
2. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ——अप्रार्थी संख्या 1
3. राज पैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा ——अप्रार्थी संख्या 2

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 06/02/2026

1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है तथ्य इस प्रकार है कि—यह कि उपरोक्त अनवानी वाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है इसमें कामयाबी की पूर्ण आशा हैं यह कि अप्रार्थीगण जोकि प्रार्थी की बहन है प्रार्थी एवं अप्रार्थी की पैतृक हक हिस्सा की भूमि चक 6 यूएमडब्ल्यू के प.नं. 14/216 (51) कि.नं. 13 ता 25 प.नं. 14/217 (59) कि. नं. 1 ता 25 कुल 9.6140 है. भूमि जो कि पैतृक हक हिस्सा की भूमि है के अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना पैतृक हक हिस्सा का परित्याग दिनांक 19.9.1995 को वादी के पक्ष में कर दिया उसी रोज से प्रार्थी का कब्जाकाश्त उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से चला आ है उक्त भूमि में राजस्व रिकॉर्ड के प्रार्थी के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । यह कि प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी की सिंचाई गिरदावरी प्रार्थी के नाम से चली आ रही है व प्रार्थी कब्जाकाश्त करता आ रहा है किन्तु अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या में निर्णय दिनांक 30.11.2024 में विवाधक संख्या 3 अप्रार्थी के विरूद्ध तय किए गए जिसके अनुसार प्रतिवादीया श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा सकेगी किन्तु प्रतिवादिया ने आनन—फानन में उक्त भूमि का निर्णय उपरांत राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर इन्तकाल दर्ज करवा लिया व वादी को रकबा से बेदखल करने पर उतारू हैं। यदि प्रतिवादी अपने अवैध मकसद में कामयाब हो गए तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थी न्याय को हद तक नहीं पहुंच पाएगा इन परिस्थितियों में प्रार्थी विरूद्ध प्रतिवादीगण शाश्वत व्यादेश इस आश्य का प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी प्रार्थी को दस्तबरदारी में वर्णित रकबा जिसकों प्रतिवादिया ने प्रार्थी के पक्ष में त्याग कर दिया से बेदखल करने से रकबा अन्यत्र रहन बैय करने में यथास्थिति बनाए रखने के लिए पांबद रहे व वादी का रकबा काश्त में हस्तक्षेप कारित ना करें। यह कि अप्रार्थीया ने प्रार्थी को ऐलानियां धमकियां दी है कि प्रार्थी को जरिए दस्तबरदारी प्राप्त रकबा में जबरन दखलअदाजी करेगी व रकबा अन्यत्र रहन बैय करेगी, यदि अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी को रकबा [illegible] अन्यत्र रहन बैय कर दिया

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:18:41 IST
Reason: SelfAttested

तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयों पैसों से नहीं आंकी जा सकती प्रथम दृष्टता मामला सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीया के विरूद्ध अस्थाई व्यादेश इस आशय का फरमाया जावे कि चक 6 यूएमडब्ल्यू के प.नं. 14/216 (51) कि.नं. 13 ता 25 प.नं. 14/2/7 (59) कि.नं. 1 ता 25 कुल 9.6140 है. भूमि में जरिए दस्तबरदारी हक त्याग प्राप्त भूमि में से प्रार्थी को बेदखल करने रकबा को अन्यत्र रहन बैय करने व मुतंकिल करने से ममनू बाज रहें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थना पत्र में एक पक्षिय अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक13.05.25 को जारी शुदा है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता हाजिर आये अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया जवाब प्रार्थी संख्या 1 निम्न प्रकार से है—यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित कथन जिस प्रकार प्रार्थी ने दर्ज किये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी की बहन है सत्य होने से स्वीकार है। कि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 से धोखे से चक 6 वी एम डब्ल्यू के प. न. 14/216 (51) के किला न. 1 ता 25 की 9.6140 हैक्टर भूमि मे से अप्रार्थी सं. 1 के हक व हिस्से की भूमि की दस्तबर दारी निष्पादित करवा ली थी जिसको अप्रार्थी सं. 2 द्वारा श्रीमान सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा मे चुनौति दी गई जिसे श्रीमान मान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थीया के पक्ष मे निष्पादित करवाई गई दस्तबरदारी को शुन्य घोषित कर निरस्त कर दिया गया है। तथा अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे करवाई गई दस्तबरदारी मे दर्ज भूमि वर्तमान मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम चली आ रही है तथा अप्रार्थी सं. 1 दस्तबरदारी मे दर्ज भूमि की रिकार्डड खातेदार होने से अपनी कृषि भूमि पर काश्त करती चली आ रही है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 मे वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य होने से अस्वीकार है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की गिरदावरी प्रार्थी के नाम चली आ रही हो बल्कि वर्तमान मे दस्तबरदारी मे वर्णित रकबा की भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज हो चूकी है व उपरोक्त कृषि भूमि मे अप्रार्थी सं. 1 काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थी का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि अप्रार्थी सं. 1 किसी रूप मे प्रार्थी को उसकी किसी कृषि भूमि से बेदखल करने के लिये प्रयासरत हो बल्कि अप्रार्थी सं. 1 ने श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2024 की पालना मे दस्तबरदारी शुन्य घोषित करने के पश्चात उक्त कृषि भूमि का इन्द्राज अपने नाम दर्ज करवाया है व अप्रार्थी सं. 1 वर्तमान मे उक्त कृषि भूमि की रिकार्डड खातेदार होने से उक्त कृषि भूमि को काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थी श्रीमान न्यायालय से स्थगन की आड से अप्रार्थी सं. 1 को उसकी भूमि से बेदखल करने के लिये प्रयासरत है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी सं. 1 अपने हक व हिस्से की भूमि मे काश्त कर रही है प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 मे वर्णित कथन जिस प्रकार प्रार्थी ने दर्ज किये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी को कभी कोई धमकी दी हो बलिक प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 को हस्तगत वाद मे स्थगन की आड मे अप्रार्थी सं. 1 को उसकी भूमि से जबरन बेदखल करना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 चक 6 वी एम डब्ल्यू के प. न. 14/216 (51) के किला न. 1 ता 25 की 9.6140 हैक्टर भूमि मे

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:18:41 IST
Reason: SelfAttested

अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि राजसव रिकार्ड मे दर्ज होने व अप्रार्थी अपनी कृषि भूमि को काश्त कर रही होने से प्रार्थी के पक्ष मे किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दू नही होने से प्रार्थी अप्रार्थी स. 1 के विरूद्ध किसी प्रकार से कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जवाव प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के महज अप्रार्थी सं. 1 को उसकी कृषि भूमि से बेदखल करने के दुर्भावना पूर्वक आशय से प्रस्तुत कियागया होने से मय खर्चा खारिज किये जाने की कृपा की जावे।

4. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली व सम्बन्धित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

5. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई है लिखित बहस प्रार्थी निम्नप्रकार से है–यह कि अप्रार्थी जोकि प्रार्थी की बहन है प्रार्थी एवं अप्रार्थी की पैतृक हक हिस्सा की भूमि चक 6 बीएमडब्ल्यू के प.नं. 14/216 (51) कि. नं. 13 ता 25 प.नं. 14/127 (59) कि.नं. 1 ता 25 कुल 9.6140 है. भूमि जो कि पैतृक हक हिस्सा की भूमि है के प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपना पैतृक हक हिस्सा का परित्याग दिनांक 19.9.1995 को प्रार्थी के पक्ष में कर दिया उसी रोज से प्रार्थी का कब्जाकाश्त उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से चला आ है उक्त भूमि में राजस्व रिकॉर्ड के प्रार्थी के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यह कि प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी की सिंचाई गिरदावरी प्रार्थी के नाम से चली आ रही है व प्रार्थी कब्जाकाश्त करता आ रहा है किन्तु अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या में निर्णय दिनांक 30.11.2024 में विवाधक संख्या 3 अप्रार्थी के विरूद्ध तय किए गए जिसके अनुसार प्रतिवादीया श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा सकेगी किन्तु अप्रार्थिया ने आनन–फानन में उक्त भूमि का निर्णय उपरांत राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर इन्तकाल दर्ज करवा लिया व प्रार्थी को रकबा से बेदखल करने पर उतारू हैं। यदि अप्रार्थी अपने अवैध मकसद में कामयाव हो गए तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थी न्याय को हद तक नहीं पहुंच पाएगा इन परिस्थितियों में प्रार्थी विरूद्ध प्रतिवादीगण शाश्वत व्यादेश इस आश्य का प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी प्रार्थी को दस्तबरदारी में वर्णित रकबा जिसकों प्रतिवादिया ने प्रार्थी के पक्ष में त्याग कर दिया से बेदखल करने से रकवा अन्यत्र रहन वैय करने में यथारिथति बनाए रखने के लिए पांवद रहे व प्रार्थी का रकवा काश्त में हस्तक्षेप कारित ना करें । यह कि प्रथम दृष्टता मामलारू– प्रार्थी के पास में प्रश्नगत भूमि का कब्जाकाश्त चला आ रहा है जिस कम में प्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया है इसलिए प्रथम दृष्टता मामला प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रुपयों पैसों से नहीं आंकी जा सकती। अपूरणीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष मे हैं। सुविधा का संतुलन– कि यदि अप्रार्थी ने जबरन दखलअदांजी की तो प्रार्थी को असुविधा होगी व प्रार्थी काश्त के अधिकारों से महरुम हो जाएगा, इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थिया के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य का फरमाया जावे कि चक 6 बीएमडब्ल्यू के प.नं. 14/216 (51) कि. नं. 13 ता 25 प.नं. 14/127 (59) कि.नं. 1 ता 25 कुल रकबा के जरिए दस्तबरदारी हक त्याग प्राप्त भूमि में से प्रार्थी को बेदखल करने रकबा को अन्यत्र रहन बैय करने व मुतकिल करने से ममनू बाज रहें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:18:41 IST
Reason: SelfAttested

6. इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने तर्क पेश किया कि प्रश्नगत रकबा के संबंध में श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2024 की पालना मे दस्तबरदारी शुन्य घोषित करने के पश्चात उक्त कृषि भूमि का इन्द्राज अपने

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नाम दर्ज करवाया है व अप्रार्थी सं. 1 वर्तमान मे उक्त कृषि भूमि की रिकार्डड खातेदार है प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के महज अप्रार्थी सं. 1 को उसकी कृषि भूमि से बेदखल करने के दुर्भावना पूर्वक आशय से प्रस्तुत कियागया होने से मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

उपर्युक्त तर्कों व तथ्यों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपर्वूक गहन अध्ययन किया गया प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रश्नगत रकबा पर उभय पक्ष के हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है पूर्व में जारी अस्थाई स्थगनादेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 13.05.25 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:18:41 IST
Reason: SelfAttested